भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 524

जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

कोयला गैसीकरण परियोजनाएं

524. श्री मारगनी भरतः

श्री संजय काका पाटीलः

श्री मद्दीला गुरुमूर्तिः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2022-23 से अब तक प्रस्तावित कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2030 तक सरकार द्वारा 100 मिलियन टन (एमटी) कोयला गैसीकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला गैसीकरण प्रक्रिया की पर्यावरणीय चिंताओं पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रक्रिया को पर्यावरणीय रूप से संवहनीय बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : सीआईएल ने कई सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) परियोजनाएं शुरू की हैं, जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(i) तलचर (ओडिशा) में कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र: तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (सीआईएल, गेल, आरसीएफ और एफसीआईएल का संयुक्त उद्यम) एक एकीकृत कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया संयंत्र की स्थापना में संलग्न है, जिसमें निकटवर्ती तलचर

कोलफील्ड्स से उच्च राख वाले कोयले को पेट-कोक के साथ मिश्रित करके इसका उपयोग 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) नीम-कोटेड यूरिया का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में, निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। अक्टूबर, 2023 तक वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 51.92% और 46.54% है।

(ii) अन्य पहलें: ईसीएल, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल में कोयला खानों के पिट हेड पर कोयला गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पहलें की गई हैं। सीआईएल बोर्ड ने ईसीएल में कोयला से एसएनजी परियोजना और एमसीएल में कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) को मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूसीएल बोर्ड ने भी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए पीएफआर को मंजूरी दे दी।

एनएलसीआईएल ने नेयवेली में लिग्नाइट से मेथनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए भी कार्रवाई शुरू की है, जो निविदा के चरण में है।

(ख) : निजी क्षेत्र की कंपनियों को स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में निवेश करने अथवा स्वच्छ और अधिक दक्ष खनन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोयला मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

(i) मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है जिसमें गैसीकरण के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए भविष्य में सभी वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों हेतु राजस्व शेयर में 50% छूट का प्रावधान किया गया है, बशर्ते गैसीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली कोयले की मात्रा कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% हो।

(ii) नए कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराने हेतु गैर-विनियमित क्षेत्र क्षेत्र के अंतर्गत अलग नीलामी विंडो बनाई गई है।

(ग) से (ङ) : कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने के लिए, सरकार ने पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना अधिदेशित किया है जिसमें परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना होता है और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करनी होती है। कोयला गैसीकरण संयंत्र की स्थापना से संबंधित कोई भी कार्यकलाप शुरू करने से पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी विधिवत जांच की जाती है।

****